

(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART-I SECTION-1)

No. F.9-14/2004-U.3

Government of India

Ministry of Human Resource Development

(Department of Higher Education)

ICR Division

Shastri Bhawan, New Delhi-1,
Dated the 16th December, 2019

NOTIFICATION

Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. **And whereas**, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide its Notification No. 9-14/2004-U.3 dated 4th January, 2008, on the advice of UGC, had declared Ponnaiyah Ramajayam Institute of Science & Technology (PRIST), Thanjavur, Tamil Nadu as an Institution Deemed to be University for a provisional period of five years.


3. **And whereas**, the UGC constituted an Expert Committee to examine the performance and academic outcomes of the Ponnaiyah Ramajayam Institute of Science & Technology (PRIST), Thanjavur, Tamil Nadu. The Committee, in its report, gave the **average** grade to Ponnaiyah Ramajayam Institute of Science & Technology (PRIST), Thanjavur, Tamil Nadu on academic performance of the Institution and recommended for continuation of their Deemed to be University status. The report of the UGC Committee was considered by the Commission in its 544th meeting (Item No.2.12) held on 16.10.2019 in which the following resolution was passed:

"The Commission considered the report of the UGC Expert Standing Committee and resolved to continue/extend Deemed to be University status for those Institutions who were rated Excellent, Very Good & Good for academic performance by the Expert Committee. However, those Deemed to be Universities which were rated poor and average for academic performance will not be granted continuation / extension."

4. Further, the recommendation of UGC was considered in this Ministry. Now, the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, hereby extends the Deemed to be University status of Ponnaiyah Ramajayam Institute of Science & Technology (PRIST), Thanjavur, Tamil Nadu from 04.01.2013 to 30.06.2020 with the conditions that the Deemed to be University will again be evaluated on the academic outcomes & performance parameters before admission of the students in the next Academic Session i.e. 2020-21. The students already admitted in Deemed to be University will continue to get their Degrees from the Ponnaiyah Ramajayam

Institute of Science & Technology (PRIST) (Deemed to be University), Thanjavur, Tamil Nadu.


5. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Ponnaiyah Ramajayam Institute of Science & Technology (PRIST), Thanjavur, Tamil Nadu.


(V.L.V.S.S. Subba Rao)
Senior Economic Advisor
Tel: 011-23073687

The Manager,
Government of India Press,
Minto Road, New Delhi - 110002.

Copy forwarded to:-

1. The Secretary, University Grants Commission, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi.
2. The Vice-Chancellor, Ponnaiyah Ramajayam Institute of Science & Technology (PRIST), Thanjavur, Tamil Nadu.
3. The Member Secretary, All India Council for Technical Education (AICTE), Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070.
4. The Principal Secretary (Higher Education Department), Government of Tamil Nadu Secretariat, Chennai-600009, Tamil Nadu.
5. Press Information Bureau, Shastri Bhawan, New Delhi.
6. The Secretary General, Association of Indian Universities, AIU House, 16, Kotla Marg, New Delhi-2.
7. Web Master, Department of Higher Education, Shastri Bhavan, New Delhi. It is requested that CMIS Unit may kindly be instructed to display the Notification on the website (Home site) of the Department.
8. Guard file / Notification file.


(V.L.V.S.S. Subba Rao)
Senior Economic Advisor
Tel: 011-23073687

(भारत के राजपत्र के भाग-1, खंड-1 में प्रकाशनार्थ)

सं.एफ. 9-14/2004-यू.3

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

आईसीआर प्रभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली- 01,

दिनांक: 16 दिसम्बर, 2019

अधिसूचना

जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर अधिगम संस्था को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।


2. और जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 04 जनवरी, 2008 की अधिसूचना सं. 9-14/2004 - यू.3 के माध्यम से, पोन्नैयाह रामजायम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (पीआरआरईएसटी) तंजावुर, तमिलनाडु को पांच वर्ष की अनंतिम अवधि के लिए सम विश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित किया था।

3. और जबकि, यूजीसी ने पोन्नैयाह रामजायम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (पीआरआरईएसटी) तंजावुर, तमिलनाडु के कार्य निष्पादन और शैक्षिक परिणामों की समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। समिति ने संस्थान के शैक्षणिक कार्यनिष्पादन के आधार पर पोन्नैयाह रामजायम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (पीआरआरईएसटी) तंजावुर, तमिलनाडु को औसत ग्रेड प्रदान किया था और सम विश्वविद्यालय का दर्जा जारी रखने की सिफारिश की थी। यूजीसी समिति की रिपोर्ट पर आयोग की दिनांक 16.10.2019 को हुई 544वीं बैठक (मद सं.2.12) में विचार किया गया था जिसमें निम्नलिखित संकल्प पारित किया था:

“ आयोग ने यूजीसी की विशेषज्ञ स्थायी समिति की रिपोर्ट पर विचार किया गया और उन संस्थाओं जिन्हें विशेषज्ञ समिति द्वारा शैक्षणिक कार्यनिष्पादन के लिए उत्कृष्ट, बहुत अच्छा एवं अच्छा” रेटिंग प्रदान की गई है, का समविश्वविद्यालय का दर्जा जारी रखने/बढ़ाने का निर्णय किया है। तथापि, वे समविश्वविद्यालय जिन्हें शैक्षणिक कार्यनिष्पादन हेतु खराब और औसत रेटिंग प्रदान की गई है, उन्हें विस्तार/निरंतरता प्रदान नहीं की जाएगी।”

4. इसके अतिरिक्त, यूजीसी की सिफारिश पर इस मंत्रालय में विचार किया गया था। अब केंद्र सरकार एतद्वारा यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पोन्नैयाह रामजायम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (पीआरआरईएसटी) तंजावुर, तमिलनाडु के सम-विश्वविद्यालय की स्थिति को, इस शर्त पर कि अगले शैक्षिक सत्र अर्थात् 2020-21 में छात्रों के प्रवेश से पूर्व शैक्षिक अधिगम और क्षमता, मानदंडों पर सम-विश्वविद्यालय का पुनः मूल्यांकन किया जाएगा, 04.01.2013 से 30.06.2020 तक बढ़ाती है। सम-विश्वविद्यालय में पहले से प्रवेश प्राप्त छात्र को पोन्नैयाह रामजायम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (पीआरआरईएसटी) तंजावुर, तमिलनाडु से उनकी डिग्री प्राप्त होती रहेगी।

5. पोन्नैयाह रामजायम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (पीआरआरईएसटी) तंजावुर, तमिलनाडु द्वारा इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना (अधिसूचनाओं) में उल्लिखित सभी अन्य शर्तों के साथ-साथ यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले नियमों/विनियमों का अनुपालन किया जाएगा।


(वी.एल.वी.एस.एस. सुब्बा राव)
वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार
टेलि. 011-23073687

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिन्टो रोड, नई दिल्ली - 110002

प्रतिलिपि अग्रेषितः

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
2. कुलपति, पोन्नैयाह रामजायम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (पीआरआरईएसटी) तंजावुर, तमिलनाडु।
3. सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), नेल्सन मंडेला
4. प्रधान सचिव (उच्चतर शिक्षा विभाग), तमिलनाडु सरकार सचिवालय, चेन्नई - 600009 तमिलनाडु
5. पत्र सूचना कार्यालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

6. महा-सचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एआईयू हाउस, 16, कोटला मार्ग, नई दिल्ली-110002
7. वेब मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। अनुरोध है कि सीएमआईएस एकक इसे विभाग की वेसाइट (होम साइट) पर प्रदर्शित करें।
8. गार्ड फाइल/अधिसूचना फाइल।

सुब्बा राव
(वी.एल.वी.एस.एस. सुब्बा राव)
वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार
टेलि. 011-23073687